



# कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

(हवामहल के पीछे, बडी चौपड, माणक चौक, जयपुर-302002)

क्रमांक: एफ 7( ).सत (सा.प्र)/ज.न.नि.है./2024/ 121 दिनांक : 13.06.2024

## निलामी सूचना

नगर निगम हैरिटेज जयपुर की सतर्कता शाखा जनता मार्केट गौदाम सब्जी मण्डी में रखे निम्नांकित सामान जहां है, जैसे है के आधार पर सामान के सामने अंकित दिनांक एवं स्थान पर निलाम किया जायेगा।

क्रम संख्या	सामान का नाम	स्थान	निलामी तिथि	समय (प्रातः)
01	जनता मार्केट गौदाम में रखे सामान थड़ी, ठैले साईकिले, लोहा परात व गमले स्टील टंकी सिलवर भगोना आदी	नगर निगम हैरिटेज जयपुर की सतर्कता शाखा गौदाम जनता मार्केट सब्जी मण्डी के पास।	24.06.2024	11:00

- नीलामी योग्य सामान की विस्तृत सूची सतर्कता शाखा स्टोर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है। तथा सूची एवं निलामी की शर्तें विभागीय पोर्टल [www.jaipurmcheritage.org](http://www.jaipurmcheritage.org) पर एवं सूचना पट्ट निगम मुख्यालय हैरिटेज बडी चौपड पर देखी जा सकती है।
- नीलामी में भाग लेने से पूर्व निर्धारित राशि जो मौके पर बताई जाएगी वह अमानता के रूप में जमा करवाना आवश्यक होगा। अमानता राशि के अभाव में कोई भी व्यक्ति बोली में भाग नहीं ले सकेगा।
- उच्चतम बोली दाता को सम्पूर्ण राशि मौके पर ही जमा करवानी होगी। अन्यथा अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी। कोई राजकीय कर नियमानुसार देय है तो वह अतिरिक्त जमा करना होगा।
- बोली छोड़ने व बोली दाता द्वारा राशि जमा कराने के पश्चात् ही प्रथम/द्वितीय/तृतीय बोली दाताओं की अमानत राशि लौटा दी जायेगी। नीलाम किये गये सामान की सुरक्षा का दायित्व संबंधित व्यक्ति का होगा।
- यदि प्रथम उच्चतम बोलीदाता माल लेने से इन्कार कर देता है तो द्वितीय उच्चतम बोली दाता को माल देने का विचार किया जा सकता है एवं अमानता राशि जब्त कर ली जायेगी यदि नीलामी कमेटी उचित समझती तो ही द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को माल दिया जा सकता है, यदि द्वितीय उच्चतम बोलीदाता माल लेने से इन्कार कर देता तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
- यदि प्रथम एवं द्वितीय उच्चतम बोली दाता माल लेने से इन्कार कर देते हैं तो तृतीय उच्चतम बोलीदाता को माल देने पर विचार किया जा सकता है। यदि नीलामी कमेटी उचित समझती है तो ही तृतीय उच्चतम बोली दाता को माल दिया जा सकेगा। यदि तृतीय उच्चतम बोली दाता माल लेने से इन्कार कर देता है तो उसकी भी अमानता राशि जब्त कर ली जायेगी। तथा सामान की पूर्ण नीलामी की जायेगी।
- प्रथम/द्वितीय/तृतीय उच्चतम बोली दाता से प्राप्त बोली के आधार पर माल देने हेतु निगम बाध्य नहीं होगा जब तक की कमेटी प्राप्त दरों को उचित नहीं समझती है तो किसी भी बोली को स्वीकार एवं अस्वीकार करने को अधिकार नीलामी कमेटी का होगा।

8050804



Signature valid

Digitally signed by Purnendra Singh Rathore  
Designation : Additional Superintendent of Police  
Date: 2024.06.13 10:57:44 IST  
Reason: Approved

(पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़)  
उपायुक्त सतर्कता  
नगर निगम जयपुर हैरिटेज।

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ।

1. श्रीमान आयुक्त महोदय, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
2. अतिरिक्त आयुक्त महोदया, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
3. मुख्य लेखा अधिकारी, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
4. जन सम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
5. केयर टैकर, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
6. राजस्व मुख्यालय, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
7. सह समिति संबंधित सदस्य, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
8. प्रबंधक ओसवाल डाटा, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
9. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त सतर्कता  
नगर निगम जयपुर हैरिटेज।

RajKaj Ref  
8050804

**Signature valid**

Digitally signed by Puspendra Singh  
Rathore  
Designation: Additional Superintendent  
of Police  
Date: 2024.06.13 08:57:44 IST  
Reason: Approved